स्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया है। वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2074-2077 ग्राम रामदेव की ढाणी पटवार हल्का देवरिया के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सह-खातेदारी की शामलाती आराजी है, जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के साथ सह-खातेदार दर्ज है। दौराने बहस वकील उभयपक्षकारान ने जाहिर किया है कि वादग्रस्त आराजी से संबंधित पूर्ववर्ती प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.काश्त.अधिनियम 1955 प्रार्थना पत्र 43/2024 बअनवान धर्माराम बनाम गुदडराम वगै. न्यायालय हाजा में में चल रहा है। अतः पूर्ववर्ती प्रा.पत्र संख्या 43/2024 बअनवान धर्माराम बनाम गुदडराम वगै. में न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्षकारान को मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति हेतु पाबंद किया गया है। अतः हम हस्तगत प्रा.पत्र में उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाना आवश्यक नहीं समझते है।

विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार की जाती है। साथ वादग्रस्त आराजी से संबंधित पूर्ववर्ती प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.काश्त.अधिनियम 1955 प्रा.पत्र 43/2024 बअनवान धर्माराम बनाम गुदडराम वगै. में न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्षकारान को मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति हेतु पाबंद किया गया है। अतः हम हस्तगत प्रा. पत्र में उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाना आवश्यक नहीं समझते है। अतः हस्तगत प्रा.पत्र खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)